रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 868] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2016/चैत्र 19, 1938
No. 868] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2016/ CHAITRA 19 , 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016

का.आ. 1364(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

बोराइल वन्यजीव अभयारण्य, जो सिल्चर नगर से 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित, असम के कच्छार जिले और दीमा हसाओ जिलों के भारतीय उपक्षेत्र और भारत चीन उपक्षेत्र के मध्य परिवर्ती जोन की बोराइल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और दक्षिणी ओर से चाय बगानों से घिरा हुआ है, 326.25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, बोराइल वन्यजीव अभयारण्य असम के बरक घाटी में वन्यजीव के लिए समृध्द जैव- विविधता और पर्यावास के साथ संरक्षित क्षेत्र भी है ;

और, बोराइल वन्यजीव अभयारण्य में 19 स्तनधारियों की प्रजातियों ,8 नर वानरों की प्रजातियों, 250 पक्षीजीव की प्रजातियों, 23 उभयचरो की प्रजातियों और 43 सरीसृपों की प्रजातियों का संभरण होता है, जो व्यापक दुर्लभ, असुरक्षित और संकटापन्न प्रजातियां हैं ;

और, बोराइल वन्यजीव अभयारण्य की जैव- विविधता के अंतर्गत 81 वृक्षों की प्रजातियां और 8 बांसों की प्रजातियां और कई जडी- बूटियों एवं झाड़ियों की प्रजातियां हैं;

और, बोराइल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम में बोराइल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से चारों ओर 0.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को बोराइल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन बोराइल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक का 309.16 वर्ग किलोमीटर का परिधिय क्षेत्र में फैला हुआ है ।

(2) बोराइल वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) बोराइल वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिक संवेदी जोन का अक्षांश और रेखांश के साथ जी.पी.एस समन्वयक **उपाबंध I क** में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र जी.पी.एस समन्वयक अक्षांश और रेखांश सहित **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले गांवों की सूची **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय --** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 13, 20, 31, 32 और 33 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात्:-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ बनाना;

(iii) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय बोराइल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट —** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाइयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ;

		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(4)	ऐसे उद्योगों की स्थापना, जिसके अंतर्गत नवीन तेल और गैस पर्यवेक्षण भी है, जिनसे जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण होता है।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(5)	नए ताप और मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरना या गर्म वायु गुब्बारों आदि का उड़ाना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	झूम खेती	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(10)	प्लास्टिक बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(11)	मुक्त चारागाह द्वारा पशुपालन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(12)	मछली पकडना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(13)	होटल और रिसोर्ट की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(14)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी । (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों,के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) एक किलोमिटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(15)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

(17)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) परियोजना वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
(18)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	विद्युत लाईनों का विद्युत रोधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
(21)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(23)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन।	वाणिज्यिक यानों के लिए आंचलिक महायोजना और लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(24)	कृषि प्रणालियों में प्रबल परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(26)	वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	पान झूम।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रहे कृषि और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(29)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(32)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(33)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(34)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, असम राज्य के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1. उपायुक्त, कछार	- अध्यक्ष;
2. प्रधान सचिव (उ.), उत्तर कछार पहाडी स्वायत्त परिषद, हाफलांग का प्रतिनिधि	– सदस्य;
3. प्रभागीय वन अधिकारी, करीमगंज प्रभाग	– सदस्य;
4. वन अधिकारी का प्रभाग, दीमा हसाओं(पश्चिम) वन प्रभाग	- सदस्य;
5. क्षेत्रीय कार्यपालक इंजीनियर, आर.एल.ओ. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिल्चर	– सदस्य;
6. उप मुख्य इंजीनियर, एन.एफ.रेल, सिल्चर	– सदस्य;
7. कार्यपालक इंजीनियर, एन.एच प्रभाग, सिल्चर	-सदस्य;
8. जिला परिवहन अधिकारी, कछार	
9. जिला कृषि अधिकारी, कछार	– सदस्य;
10.जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, कछार	– सदस्य;
11.जिला मत्स्य पालन विकास अधिकारी, कछार	– सदस्य;
12. महा प्रबंधक, डी.आई.सी.सी., कछार	– सदस्य ;
13. पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक विशेषज्ञ	– सदस्य ;
14. (पर्यावरण और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाला गैर सरकारी संगठन का राज्य सरकर द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक प्रतिनिधि	– सदस्य ;
15. प्रभागीय वन अधिकारी, कछार प्रभाग	– सदस्य-सचिव

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान का भारसाधक, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/181/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा वर्णन

पश्चिमी सीमा- पश्चिमी सीमा बांग्लादेश सीमा से भू- निर्देशांक 25⁰00'58.1"उ92⁰25'40.7" पू से आंरभ होकर और बांग्लादेश सीमा के भू–निर्देशांक 25⁰01'43.9" उ 92⁰25'44.1"पू के साथ जाती है और असम – मेघालय सीमा के साथ भू–निर्देशांक 25⁰02'35"उ 92⁰25'29.5" जाती है। इस सीमा से यह बोराइल वन्यजीव अभयारण्य से 2 किलोमीटर की दूरी बनाकर नारपुह आर.एफ. (मेघालय) में उत्तर की ओर भू – निर्देशांक 25⁰07'27.5" उ 92⁰28'29.1" पू जाती है।

उत्तरी सीमा - पारिस्थितिक संवेदी जोन की उत्तरी सीमा मेघालय में भू–निर्देशांक 25⁰02'27.6"उ 92⁰25'29.1" से आरंभ होकर और यह मेघालय के नारपुह आरक्षित वन के अंतर्गत दो किलोमीटर की दूरी से बोराइल वन्यजीव अभयारण्य की कोर के सामांतर भू–निर्देशांक 25⁰07'35.5"उ 92⁰35'42"पू के साथ पूर्व की ओर जाती है। यहां से असम मेघालय सीमा के साथ जाती है। और दिमा हसहो जिला में भू– निर्देशांक 25⁰7'51.2"उ 92⁰37'53.1"पू आती है और भू–निर्देशांक 25⁰07'09.2"उ 92⁰ 47'12.9"पू तक बोराइल वन्यजीव अभयारण्य के किनारे से दो किलामीटर की दूरी बनाए रखती है। यहां से यह नचंगजोल ग्राम के निकट भू–निर्देशांक 25⁰07'02.2"उ 92⁰ 46'24.5"पू तक पश्चिमी की ओर मुडती है। और इस बिंदु से, कयांग ग्राम के निकट भू–निर्देशांक 25⁰05'18.0"उ 92⁰ 48'06.6"पू तक बोराइल वन्यजीव अभयारण्य के किनारे से 0.5 किलोमीटर तक दूरी बनी रहती है। यहॉ से यह गुल्लाबरी ग्राम के निकट भू –निर्देशांक 25⁰05'07.6"उ 92⁰ 49'00.8"पू तक पूर्व की ओर जाती है। और इसके बाद भू–निर्देशांक 25⁰05'33.5" उ 92⁰ 49'43.5" पू तक एन.एच – 54 के साथ जाती है। यहां से यह बोराइल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर की दूरी बनाकर दिमा हसओ जिला के बोराइल आर.एफ. के अंतर्गत जाती है और थाईकुल के उत्तर में भू–निर्देशांक 25⁰04'28.0"उ 92⁰ 53'23.1"पू में समाप्त होती है।

पूर्वी सीमा - पारिस्थितिक संवेदी जोन की पूर्वी सीमा भू- निर्देशांक 25⁰04'28.0"उ 92⁰ 53'23.1"पू के थाईकुल के उत्तरी भाग से आरंभ होकर और यह भू- निर्देशांक 25⁰03'03.4"उ 92⁰ 53'02.1"पू के पुराने हॉफलौग सड़क को काटकर बोराइल वन्यजीव अभयारण्य के किनारे से 2 किलोमीटर की दूरी बनाए रखती है यहां से यह भू- निर्देशांक 25⁰01'48.2"उ 92⁰ 53'27.4"पू तक पुराने हॉफलौग सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है। इस बिंदु से,यह बोराइल वन्यजीव अभयारण्य के किनारे से दो किलोमीटर की दूरी बनाकर दक्षिण की ओर जाती है यह मुलदम पुनजी के निकट भू- निर्देशांक 24⁰57'15.4"उ 92⁰ 52'30.4"पू में समाप्त हो जाती है।

दक्षिण सीमा- पारिस्थितिक संवेदी जोन की दक्षिण सीमा भू-निर्देशांक 24°57'15.4"उ92° 52'30.4"पू के साथ मुलदम पुनजी से आरंभ होकर और यहां से दोलु नदी को पार करके रूपाचार्रा चाय बगान के उत्तर से होते हुए चाय बगान के उत्तर से बालीचेररा चाय बगान में भू- निर्देशांक 24°57'41.1" उ 92° 46'39.8"पू तक सभांग और पश्चिमी की ओर जाती है यहां से यह उत्तर की ओर मुडकर और मरवाचेर्रा पुनजी ग्राम के पूर्व से होते हुए और भू- निर्देशांक 24°59'01.4"उ 92° 45'22.1"पू तक जतींगा नदी के बाएं तट के साथ पुन: जाती है। यहां से दमचेर्रा चाय बगान के निकट भू – निर्देशांक 25°00'44.2"उ 92°44'35.6" पू तक बोराइल वन्यजीव अभयारण्य किनारे से 1.5 किलोमीटर की दूरी बनी रहती है यहां से यह अरंग नाला के साथ पश्चिम – दक्षिण दिशा की ओर जाती है और इसके बाद अरंग नदी के साथ यह दलचारा ग्राम के निकट भू–निर्देशांक 24°59'13.7"उ 92° 39'23.0"पू के अरंग पी.आर.एफ सीमा पहुँचती है। यहां से यह भू – निर्देशांक 25° 00'11.5"उ 92° 36'56.8"पू तक अरंग प्रस्तावित आरक्षित वन की दक्षिण और पश्चिमी सीमाओं के साथ जाती है वहॉ से आगे,यह कलाईनचेर्रा चाय बगान के निकट भू–निर्देशांक 25°01'06.1"उ 92°31'04.1" पू तक बोराइल वन्यजीव अभयारण्य के किनारे से दो किलोमीटर की दूरी बनाकर पश्चिम की ओर जाती है। वहॉ से यह कालाईन नगर के उत्तर की ओर जाकर,एन .एच - 44 को पार करके और इसके बाद गुमरा नदी को पार करके दक्षिण की ओर जाती है और मेनमगॉव ग्राम के उत्तर भू – निर्देशांक 25° 00'25.4"उ 92°29'35.8" पू तक पुन: जाती है। यहॉ से यह भू –निर्देशांक 25° 00'46.3" उ 92°27'26.6" पू तक बोराइल वन्यजीव अभयारण्य के किनारे से 2 किलोमीटर की दूरी बनाकर बोलेश्वर नदी को पार करके पश्चिम की ओर जाती है। वहॉ से ,यह जललपूर चाय बगान को पार करके और पुन: पश्चिम की ओर जाकर यह बांग्लादेश सीमा के भू– निर्देशांक 25°00'58.1"उ 92° 25'40.7"पू में समाप्त होती है।

उपाबंध-II

बोराइल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा पर स्थित भू- निर्देशांकों के बिंदु

बिंदु	अक्षांश	देशांतर
1	25°00'45.9"	92°26'09.0"
2	25°00'58.1"	92°25'40.7"
3	25°01'09.8"	92°25'39.7"
4	25°01'09.1"	92°25'46.4"
5	25°01'43.9"	92°25'44.1"
6	25°01'47.3"	92°25'53.8"
7	25°02'04.6"	92°26'08.6"
8	25°02'01.3"	92°26'26.2"
9	25°02'26.2"	92°26'35.5"
10	25°03'36.2"	92°26'33.7"
11	25°04'10.2"	92°27'04.0"
12	25°05'13.5"	92°27'34.0"
13	25°05'44.7"	92°27'54.2"
14	25°06'48.1"	92°27'58.9"
15	25°07'27.8"	92°28'29.1"
16	25°07'34.2"	92°29'47.0"
17	25°07'19.2"	92°30'48.1"
18	25°07'19.2"	92°31'47.0"
19	25°07'07.4"	92°32'23.4"
20	25°07'14.9"	92°33'15.8"
21	25°07'08.0"	92°34'09.5"
22	25°07'22.4"	92°35'19.0"

23	25°07'18.3"	92°35'58.3"
24	25°07'21.8"	92°36'44.2"
25	25°06'51.2"	92°37'31.1"
26	25°08'07.4"	92°38'38.1"
27	25°07'38.4"	92°40'17.7"
28	25°07'53.4"	92°41'23.5"
29	25°07'48.1"	92°41'59.9"
30	25°08'03.1"	92°42'45.9"
31	25°09'36.2"	92°43'41.6"
32	25°09'17.0"	92°44'57.6"
33	25°09'17.0"	92°45'47.9"
34	25°08'01.8"	92°46'42.2"
35	25°07'09.1"	92°47'12.9"
36	25°07'02.2"	92°46'24.5"
37	25°05'30.9"	92°46'22.9"
38	25°05'18.0"	92°48'06.6"
39	25°05'07.6"	92°49'00.8"
40	25°05'33.5"	92°49'43.5"
41	25°04'45.3"	92°50'48.2"
42	25°04'28.0"	92°53'23.1"
43	25°03'03.4"	92°53'02.1"
44	25°01'26.9"	92°53'35.2"
45	24°59'48.0"	92°53'29.9"
46	24°59'16.9"	92°53'08.4"
47	24°57'15.4"	92°52'30.4"
48	24°57'25.0"	92°49'43.9"
49	24°57'55.0"	92°49'32.2"
50	24°57'50.7"	92°47'45.6"
51	24°57'41.1"	92°46'39.8"
52	24°58'22.3"	92°45'34.4"
53	24°59'01.4"	92°45'22.1"
54	25°00'19.0"	92°45'36.6"
55	25°00'44.2"	92°44'35.6"
56	25°00'34.5"	92°43'55.9"
57	25°00'34.0"	92°42'30.3"
58	25°00'19.5"	92°41'41.6"
59	25°00'00.3"	92°40'24.0"
60	24°59'22.3"	92°39'54.6"
61	24°59'13.7"	92°39'23.0"
62	24°58'49.6"	92°39'17.1"
63	24°58'01.9"	92°38'21.4"

64	24°58'12.1"	92°37'26.8"
65	24°59'07.3"	92°36'37.6"
66	24°59'06.7"	92°35'15.7"
67	24°59'35.6"	92°36'00.6"
68	25°00'11.5"	92°36'56.8"
69	25°01'13.6"	92°35'02.3"
70	25°00'14.2"	92°32'40.0"
71	25°01'06.1"	92°31'04.1"
72	25°01'00.8"	92°29'59.9"
73	25°00'25.4"	92°29'35.3"
74	25°00'46.3"	92°27'26.6"
75	25°00'35.1"	92°26'24.5"

उपाबंध-II क

बोराइल वन्यजीव अभयारण्य सीमा पर स्थित भू-निर्देशांकों के बिंदु

बिंदु सं.	अक्षांश	देशांतर
1	25° 01'06.6"	92°45'30.0"
2	25° 03'1.8"	92°45'1.2"
3	25°02'19.8"	92°43'48.8"
4	25°02'20.2"	92°42'34.8"
5	25°03'22.8"	92°40'51.4"
6	25°02'08.8"	92°38'51.4"
7	25°01'0.2"	92°37'52.4"
8	25°02'33.6"	92°35'50"
9	25°01'16.0"	92°32'11.6"
10	25°03'16.8"	92°30'57.6"
11	25°01'13.0"	92°29'25.6"
12	25°01'16.8"	92° 29'15.0"
13	25° 01'12.3"	92°29'10.8"
14	25°01'27.7"	92° 28'25.1"
15	25° 01'47,6"	92° 27'50.6"
16	25°02'08.3"	92°27"47.3"
17	25°02'12.6"	92°27'52.4"
18	25°03'11.2"	92°27'34.6"
19	25°04'51.0"	92°28'35.8"
20	25°06'31.2"	92°29'01.8"
21	25°06'11.4"	92°32'57.4"
22	25°06'35.0"	92°36'4.6"
23	25°07'0.8"	92°38'34.4"
24	25°06'44.0"	92°43'31.6"

बिंदु सं.	अक्षांश	देशांतर
25	25°08'33.0"	92°43'58.6"
26	25°06'51.4"	92°46'10.4"
27	25°05'2.2"	92°46'34.8"
28	25°04'59.8"	92°47'57.4"
29	25°03'48.2"	92°48'14.6"
30	25°03'5.8"	92°47'57.8"
31	25°02'38"	92°47'40.2"
32	25°01'50"	92°46'30.4"
33	25°01'40.2"	92°46'38"
34	25°00'50.4"	92°46'17.4"
35	25°00'21.4"	92°46'34.0"
36	25°59'11.0"	92°46'21.6"
37	25°58'35.0"	92°46'14.8"
38	25°58'53.0"	92°49'26.2"
39	25°58'26.6"	92°49'44.6"
40	24°58'39.4"	92°50'12.4"
41	24°57'59.4"	92°51'3.0"
42	24°58'10.0"	92°51'53.4"
43	24°59'27.6"	92°52'5.4"
44	24°59'24.2"	92°51'47.4"
45	25°00'15.6"	92°52'29.8"
46	25°00'44.4"	92052'07.4"
47	25°01'32.3"	92°52'12.1"
48	25°01'37.8"	92°51'41.7"
49	25°02'24.9"	92°51'33.1"
50	25°03'11.1"	92°51'55.0"
51	25°03'57.0"	92°52'24.5"
52	25°03'51.0"	92°51'40.8"
53	25°03'16.3"	92°50'44.3"
54	25°03'8.1"	92°50'16.9"
55	25°03'54.4"	92°49'53.3"
56	25°04'12.4"	92°49'52.0"
57	25°04'50.9"	92°48'48.5"
58	25°04'28.7"	92°48'50.2"
59	25°04'14.1"	92°48'23.7"
60	25°04'1.7"	92°48'20.7"
61	25°03'45.4"	92°48'31.0"
62	25°03'36.4"	92°48'16.8"
63	25°03'9.8"	92°48'8.7"
64	25°02'30.4"	92°47'22.9"
65	25°03'29.5"	92°49'45.1"
66	25°02'2.2"	92°46'54.6"

उपाबंध-II

बोराइल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन का अक्षांश और रेखांश के साथ मानचित्र

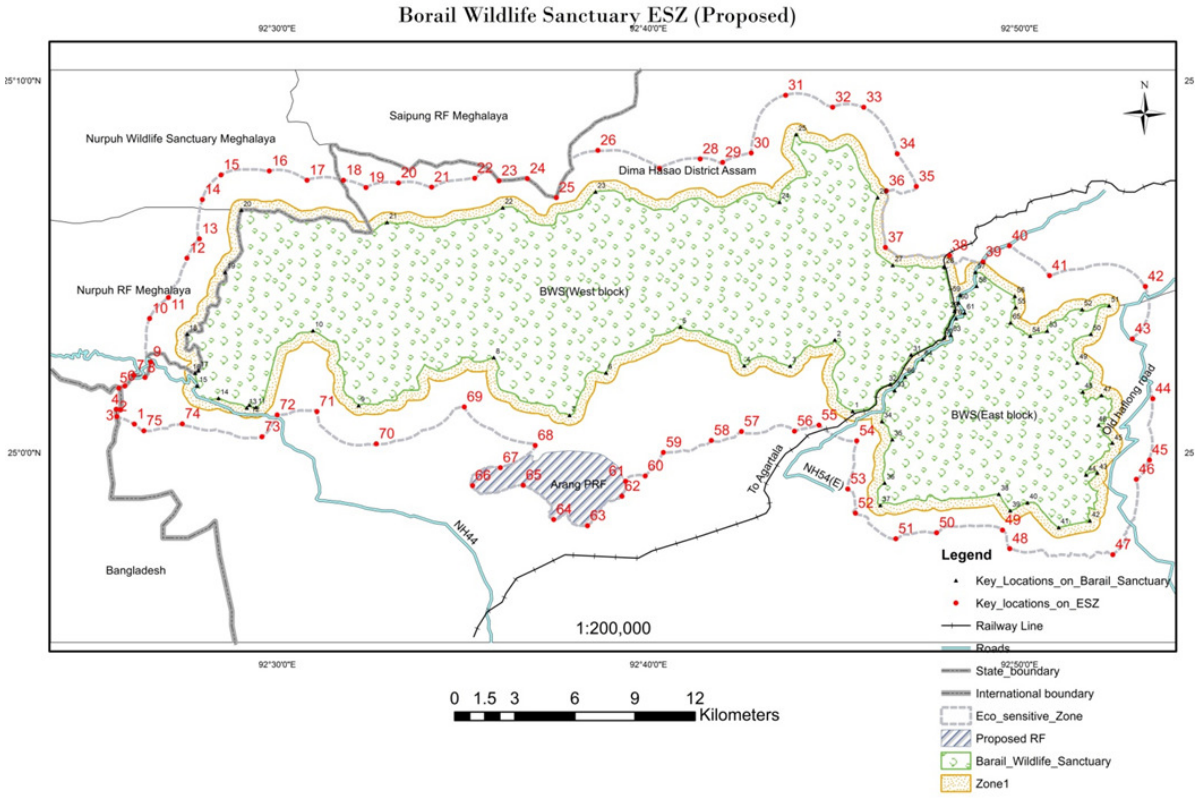

उपाबंध III

बोराइल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों और चाय बगानों की सूची

क्र.सं.	ग्रामों/चाय बगान के नाम	जिला	अक्षांश	देशांतर
1	इंद्रानगर	काचर	24°59'12.1"	92°51'50.0"
2	सीरिस्थल	काचर	24°57'51.8"	92°51'31.3"
3	सत्यनगर	काचर	24°58'07.5"	92°51'58.1"
4	मूलदम पूनजी	काचर	24°57'32.4"	92°52'12.6"
5	गुर्मादिसा	काचर	24°57'24.4"	92°51'12.7"
6	तेलाचर्रा	काचर	24°58'19.4"	92°47'54.0"
7	मरवाचर्रा	काचर	24°58'22.3"	92°46'02.0"
8	देवीनाला	काचर	25°02'31.3"	92°47'01.7"
9	कछुखल	काचर	25°01'02.5"	92°46'11.8"
10	दुरबिन ताल	काचर	25°01'58.9"	92°46'41.6"
11	दुर्गाचेर्रा	काचर	25°01'28.2"	92°46'16.9"

12	बन्देरखल	काचर	25°03'28.1"	92°48'08.2"
13	हनुमनथल	काचर	25°00'17.8"	92°31'48.5"
14	राजीब नगर	काचर	25°01'22.0"	92°28'14.3"
15	बोलाचर्रा	काचर	25°00'40.8"	92°33'45.8"
16	नई मालीधर,मालीधर	काचर	25°01'40.8"	92°27'42.9"
17	मकीचेररा, इसचरारा	काचर	25°01'14.4"	92°30'88.3"
18	लखीचेररा	काचर	25°01'20.4"	92°29'13.1"
19	दरालचेर्रा (लम्बाटील्ला)	काचर	24°58'11.5"	92°38'07.5"
20	अमर नगर चाय बगान	काचर	24°58'28.5"	92°52'01.0"
21	सुभंग चाय बगान	काचर	24°57'06.0"	92°48'08.2"
22	नई जतिंग घाटी चाय बगान	काचर	25°00'12.6"	92°44'24.9"
23	दमचेररा चाय बगान	काचर	25°00'44.0"	92°45'08.9"
24	गुमराह चाय बगान	काचर	25°00'59.6"	92°28'10.3"
25	कलाइनचर्रा चाय बगान	काचर	25°00'53.9"	92°30'29.7"
26	अइलाचोरा चाय बगान	काचर	24°59'48.8"	92°36'07.7"
27	जललपुर चाय बगान	काचर	25°00'03.7"	92°27'16.0"

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और दिनांक।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2016

S.O. 1364(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Borail Wildlife Sanctuary situated in the Borail Hill Range on the transitional zone between Indian sub-region and Indo-Chinese sub region in Cachar District and Dima Hasao Districts of Assam located 25 kilometre away from Silchar town and surrounded by tea gardens from the Southern side is spread over an area of 326.25 square kilometres.

And Whereas, the Borail Wildlife Sanctuary is the only protected area in the Barak valley of Assam with rich biodiversity and habitat for wildlife;

And Whereas, the Borail Wildlife Sanctuary supports 19 species of mammals, 8 species of primates, 250 species of avifauna, 23 species of amphibians and 43 species of reptiles which are globally rare, vulnerable, and endangered species;

And Whereas, the biodiversity of Borail Wildlife Sanctuary comprises of 81 species of trees and 8 species of bamboo and several species of herbs and shrubs;

And Whereas, the national park has immense research, recreational and educational values and it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Borail Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.5 kilometre to 6 kilometres around the boundaries of Borail Wildlife Sanctuary in the State of Assam as Eco-sensitive Zone of Borail Wildlife Sanctuary(herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone shall be with a peripheral area of 309.16 square kilometres with an extent varying from 0.5 kilometre to 6 kilometres around the boundaries of Borail Wildlife Sanctuary.

(1) The boundary details of Borail Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-I.**

(2) The GPS coordinates of Borail Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes are given in **Annexure-I A**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone, latitudes and longitudes along with GPS coordinates is appended as **Annexure-II**.

(4) The list of villages falling in Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture,

(viii) Assam State Pollution Control Board,

(ix) Irrigation, and

(x) Public Works Department.

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities specified against serial numbers 13, 22, 31,32 and 33 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with the Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on Eco-tourism, Eco-education and Eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Borail Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool Project areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and projectd and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** No discharge of untreated effluent shall be permitted. The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim orders of the Hon'ble

		Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills and new wood based industry.	No new or expansion of existing saw mills and new wood based industry shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries including new oil and gas exploration causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Jhum cultivation.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Rearing of cattle by free grazing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
12.	Fishing.	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
14.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:

		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) beyond one kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
15.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made there under; (c) in case of Project Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
19.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling.
20.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
22.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial vehicles as per the Zonal Master Plan and the applicable laws.
24.	Drastic change of agriculture systems or land use pattern.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
26.	Collection of Forest produce.	Regulated under applicable laws.
27.	Pan Jhum.	Regulated under applicable laws.

Promoted Activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming including use of Bio Fertilizer.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
33.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
34.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Assam, which shall comprise of the following, namely:-

(i) The Deputy Commissioner, Cachar —Chairman

(ii) Representative of Principal Secretary (N), North Cachar Hills Autonomous Council, Haflong —Member

(iii) The Divisional Forest Officer, Karimganj Division —Member

(iv) The Division of Forest Officer, Dima Hasao (West) Forest Division —Member

(v) The Regional Ex Eng, RLO, Pollution Control Board, Silchar —Member

(vi) The Deputy Chief Engineer, N.F. Railways, Silchar —Member

(vii) The Executive Engineer, N.H. Division, Silchar —Member

(viii) The District Transportation Officer, Cachar —Member

(ix) The District Agriculture Officer, Cachar —Member

(x) The District Veterinary Officer, Cachar —Member

(xi) The District Fisheries Development Officer, Cachar —Member

(xii) The General Manager, DICC, Cachar —Member

(xiii) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government for a period of one year —Member

(xiv) One representative of Non-Governmental Organisation (working in the field of environment and heritage conservation) to be nominated by the State Government for a period of one year —Member

(xv) The Divisional Forest Officer, Cachar Division —Member-Secretary

6. Terms of Reference. — (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal .

[F. No. 25/181/2015-ESZ -RE]

DR. T.CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure-I

Boundary details of Borail Wildlife Sanctuary

Boundary	Description
Western Boundary	The Western Boundary of proposed Eco-Sensitive Zone starts from Geo-coordinate 25°00'58.1"N 92°25'40.7"E at Bangladesh border and runs along the Bangladesh border till Geo-coordinate 25°01'43.9"N, 92°25'44.1"E and from there along the Assam-Meghalaya border till Geo-coordinate 25°02'35"N 92°26'29.5"E. From there it runs northwards into Narpuh RF (Meghalaya) maintaining a distance of 2 km from the Borail wildlife sanctuary boundary till Geo-coordinate 25°07'27.8"N, 92°28'29.1"E.
Northern Boundary	The Northern boundary of proposal Eco-sensitive zone starts from the Geo-coordinates 25°07'27.8"N, 92°28'29.1"E in Meghalaya and from there it runs east, parallel to the edge of Borail Wildlife Sanctuary at a distance of 2km form it, within Narpuh Reserve Forests of Meghalaya till Geo-coordinate 25°07'36.5"N, 92°35'42"E. From there, it runs along Assam- Meghalaya Border and enters Dima Hasao district at Geo-coordinate 25°7'51.7"N, 92°37'53.1"E and maintains a distance of 2Km from the edge of Borail Wildlife Sanctuary till Geo-coordinate 25°07'09.1"N, 92°47'12.9"E. From there, it turns westward till Geo-coordinate 25°07'02.2"N, 92°46'24.5"E near Nachangjol Village and from this point onwards it maintains a distance of 0.5 Kms from the edge of Borail Wildlife Sanctuary till Geo-coordinate 25°05'18.0"N, 92°48'06.6"E near Kayang Village. From there, it runs eastwards till Geo-coordinate 25°05'07.6"N, 92°49'00.8"E near Gullabari village and then continues along NH-54 till Geo-coordinate 25°05'33.5"N, 92°49'43.5"E. From there it runs into Borail RF of Dima Hasao District maintaining a distance of 2 Kms from the boundary of Borail Wildlife sanctuary and terminates at Geo-coordinate 25°04'28.0"N, 92°53'23.1"E in North of Thaikul.

Eastern Boundary	The Eastern boundary of proposed Eco-sensitive zone starts from the Northern part of Thaikul at Geo co-ordinate 25°04'28.0"N, 92°53'23.1"E and maintains a distance of 2 Kms from the edge of Borail Wildlife Sanctuary till it intersects the Old Haflong Road at Geo-coordinate 25°03'03.4"N, 92°53'02.1"E. From there it runs south along the Old Haflong Road till Geo-coordinate 25°01'48.2"N, 92°53'27.4"E. From this point onwards it runs south maintaining a distance of 2 Kms from the edge of Borail Wildlife Sanctuary till it terminates at Geo co-ordinate 24°57'15.4"N, 92°52'30.4"E near Muldam Punjee.
Southern Boundary	The Southern Boundary of proposed Eco-Sensitive Zone starts from the Muldam Punjee with Geo co-ordinate 24°57'15.4"N, 92°52'30.4"E and runs West from there crossing the Doloo River, passing from north of Rupacharra Tea Garden and north of Subhang Tea garden till Geo-coordinate 24°57'41.1"N, 92°46'39.8"E in Balacherra Tea garden. From there it gradually turns northwards and passes east of Marwacherra punji village and continues along the left bank of river Jatinga till Geo-coordinate 24°59'01.4"N, 92°45'22.1"E. From there, it maintains a distance of 1.5Km from the edge of Borail Wildlife Sanctuary till Geo-coordinate 25°00'44.2"N, 92°44'35.6"E near Damcherra Tea Garden. From there, it runs in West-southwardly direction along the Arang Nalla and then along Arang river till it reaches the Arang PRF boundary at Geo-coordinate 24°59'13.7"N, 92°39'23.0"E near Dhalcharra village. From there it runs along the southern and western boundaries of Arang Proposed Reserve Forest till Geo-coordinate 25°00'11.5"N, 92°36'56.8"E. There onwards, it runs west maintaining a distance of 2Kms from the edge of Borail Wildlife Sanctuary till Geo-coordinate 25°01'06.1"N, 92°31'04.1"E near Kalaincherra tea garden. From there it runs north of Kalain town, crosses NH-44 and then running south crosses Gumra river and continues till Geo-coordinate 25°00'25.4"N, 92°29'35.3"E, north of Menamgaon Village. From there, it runs westward crossing Boleshwar river while maintaining a distance of 2 Kms from the edge of Borail Wildlife Sanctuary till Geo-coordinate 25°00'46.3"N, 92°27'26.6"E. From there, it crosses Jalalpur tea garden and continues westwards till it terminates into Bangladesh border at geo coordinates 25°00'58.1"N 92°25'40.7"E.

Annnexure-II

Geo-Coordinates of the points located on Borail Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone boundary

Point	Latitude	Longitude
1	$25^0$00'45.9"	$92^0$26'09.0"
2	$25^0$00'58.1"	$92^0$25'40.7"
3	$25^0$01'09.8"	$92^0$25'39.7"
4	$25^0$01'09.1"	$92^0$25'46.4"
5	$25^0$01'43.9"	$92^0$25'44.1"
6	$25^0$01'47.3"	$92^0$25'53.8"
7	$25^0$02'04.6"	$92^0$26'08.6"
8	$25^0$02'01.3"	$92^0$26'26.2"
9	$25^0$02'26.2"	$92^0$26'35.5"
10	$25^0$03'36.2"	$92^0$26'33.7"
11	$25^0$04'10.2"	$92^0$27'04.0"
12	$25^0$05'13.5"	$92^0$27'34.0"
13	$25^0$05'44.7"	$92^0$27'54.2"
14	$25^0$06'48.1"	$92^0$27'58.9"
15	$25^0$07'27.8"	$92^0$28'29.1"
16	$25^0$07'34.2"	$92^0$29'47.0"
17	$25^0$07'19.2"	$92^0$30'48.1"
18	$25^0$07'19.2"	$92^0$31'47.0"
19	$25^0$07'07.4"	$92^0$32'23.4"
20	$25^0$07'14.9"	$92^0$33'15.8"
21	$25^0$07'08.0"	$92^0$34'09.5"
22	$25^0$07'22.4"	$92^0$35'19.0"
23	$25^0$07'18.3"	$92^0$35'58.3"
24	$25^0$07'21.8"	$92^0$36'44.2"
25	$25^0$06'51.2"	$92^0$37'31.1"
26	$25^0$08'07.4"	$92^0$38'38.1"
27	$25^0$07'38.4"	$92^0$40'17.7"
28	$25^0$07'53.4"	$92^0$41'23.5"
29	$25^0$07'48.1"	$92^0$41'59.9"
30	$25^0$08'03.1"	$92^0$42'45.9"
31	$25^0$09'36.2"	$92^0$43'41.6"
32	$25^0$09'17.0"	$92^0$44'57.6"
33	$25^0$09'17.0"	$92^0$45'47.9"
34	$25^0$08'01.8"	$92^0$46'42.2"
35	$25^0$07'09.1"	$92^0$47'12.9"
36	$25^0$07'02.2"	$92^0$46'24.5"
37	$25^0$05'30.9"	$92^0$46'22.9"

38	$25^0$05’18.0”	$92^0$48’06.6”
39	$25^0$05’07.6”	$92^0$49’00.8”
40	$25^0$05’33.5”	$92^0$49’43.5”
41	$25^0$04’45.3”	$92^0$50’48.2”
42	$25^0$04’28.0”	$92^0$53’23.1”
43	$25^0$03’03.4”	$92^0$53’02.1”
44	$25^0$01’26.9”	$92^0$53’35.2”
45	$24^0$59’48.0”	$92^0$53’29.9”
46	$24^0$59’16.9”	$92^0$53’08.4”
47	$24^0$57’15.4”	$92^0$52’30.4”
48	$24^0$57’25.0”	$92^0$49’43.9”
49	$24^0$57’55.0”	$92^0$49’32.2”
50	$24^0$57’50.7”	$92^0$47’45.6”
51	$24^0$57’41.1”	$92^0$46’39.8”
52	$24^0$58’22.3”	$92^0$45’34.4”
53	$24^0$59’01.4”	$92^0$45’22.1”
54	$25^0$00’19.0”	$92^0$45’36.6”
55	$25^0$00’44.2”	$92^0$44’35.6”
56	$25^0$00’34.5”	$92^0$43’55.9”
57	$25^0$00’34.0”	$92^0$42’30.3”
58	$25^0$00’19.5”	$92^0$41’41.6”
59	$25^0$00’00.3”	$92^0$40’24.0”
60	$24^0$59’22.3”	$92^0$39’54.6”
61	$24^0$59’13.7”	$92^0$39’23.0”
62	$24^0$58’49.6”	$92^0$39’17.1”
63	$24^0$58’01.9”	$92^0$38’21.4”
64	$24^0$58’12.1”	$92^0$37’26.8”
65	$24^0$59’07.3”	$92^0$36’37.6”
66	$24^0$59’06.7”	$92^0$35’15.7”
67	$24^0$59’35.6”	$92^0$36’00.6”
68	$25^0$00’11.5”	$92^0$36’56.8”
69	$25^0$01’13.6”	$92^0$35’02.3”
70	$25^0$00’14.2”	$92^0$32’40.0”
71	$25^0$01’06.1”	$92^0$31’04.1”
72	$25^0$01’00.8”	$92^0$29’59.9”
73	$25^0$00’25.4”	$92^0$29’35.3”
74	$25^0$00’46.3”	$92^0$27’26.6”
75	$25^0$00’35.1”	$92^0$26’24.5”

ANNEXURE-II A

Geo-Coordinates of the points located on Borail Wildlife Sanctuary boundary

Point No.	Latitude	Longitude
1	25^0 01'06.6"	92^{0}45'30.0"
2	25^0 03'1.8"	92^{0}45'1.2"
3	25^{0}02'19.8"	92^{0}43'48.8"
4	25^{0}02'20.2"	92^{0}42'34.8"
5	25^{0}03'22.8"	92^{0}40'51.4"
6	25^{0}02'08.8"	92^{0}38'51.4"
7	25^{0}01'0.2"	92^{0}37'52.4"
8	25^{0}02'33.6"	92^{0}35'50"
9	25^{0}01'16.0"	92^{0}32'11.6"
10	25^{0}03'16.8"	92^{0}30'57.6"
11	25^{0}01'13.0"	92^{0}29'25.6"
12	25^{0}01'16.8"	92^0 29'15.0"
13	25^0 01'12.3"	92^{0}29'10.8"
14	25^{0}01'27.7"	92^0 28'25.1"
15	25^0 01'47,6"	92^0 27'50.6"
16	25^{0}02'08.3"	92^{0}27"47.3"
17	25^{0}02'12.6"	92^{0}27'52.4"
18	25^{0}03'11.2"	92^{0}27'34.6"
19	25^{0}04'51.0"	92^{0}28'35.8"
20	25^{0}06'31.2"	92^{0}29'01.8"
21	25^{0}06'11.4"	92^{0}32'57.4"
22	25^{0}06'35.0"	92^{0}36'4.6"
23	25^{0}07'0.8"	92^{0}38'34.4"
24	25^{0}06'44.0"	92^{0}43'31.6"
25	25^{0}08'33.0"	92^{0}43'58.6"
26	25^{0}06'51.4"	92^{0}46'10.4"
27	25^{0}05'2.2"	92^{0}46'34.8"
28	25^{0}04'59.8"	92^{0}47'57.4"
29	25^{0}03'48.2"	92^{0}48'14.6"
30	25^{0}03'5.8"	92^{0}47'57.8"
31	25^{0}02'38"	92^{0}47'40.2"
32	25^{0}01'50"	92^{0}46'30.4"
33	25^{0}01'40.2"	92^{0}46'38"
34	25^{0}00'50.4"	92^{0}46'17.4"
35	25^{0}00'21.4"	92^{0}46'34.0"
36	25^{0}59'11.0"	92^{0}46'21.6"

Point No.	Latitude	Longitude
37	25°58'35.0"	92°46'14.8"
38	25°58'53.0"	92°49'26.2"
39	25°58'26.6"	92°49'44.6"
40	24°58'39.4"	92°50'12.4"
41	24°57'59.4"	92°51'3.0"
42	24°58'10.0"	92°51'53.4"
43	24°59'27.6"	92°52'5.4"
44	24°59'24.2"	92°51'47.4"
45	25°00'15.6"	92°52'29.8"
46	25°00'44.4"	92052'07.4"
47	25°01'32.3"	92°52'12.1"
48	25°01'37.8"	92°51'41.7"
49	25°02'24.9"	92°51'33.1"
50	25°03'11.1"	92°51'55.0"
51	25°03'57.0"	92°52'24.5"
52	25°03'51.0"	92°51'40.8"
53	25°03'16.3"	92°50'44.3"
54	25°03'8.1"	92°50'16.9"
55	25°03'54.4"	92°49'53.3"
56	25°04'12.4"	92°49'52.0"
57	25°04'50.9"	92°48'48.5"
58	25°04'28.7"	92°48'50.2"
59	25°04'14.1"	92°48'23.7"
60	25°04'1.7"	92°48'20.7"
61	25°03'45.4"	92°48'31.0"
62	25°03'36.4"	92°48'16.8"
63	25°03'9.8"	92°48'8.7"
64	25°02'30.4"	92°47'22.9"
65	25°03'29.5"	92°49'45.1"
66	25°02'2.2"	92°46'54.6"

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BORAIL WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES

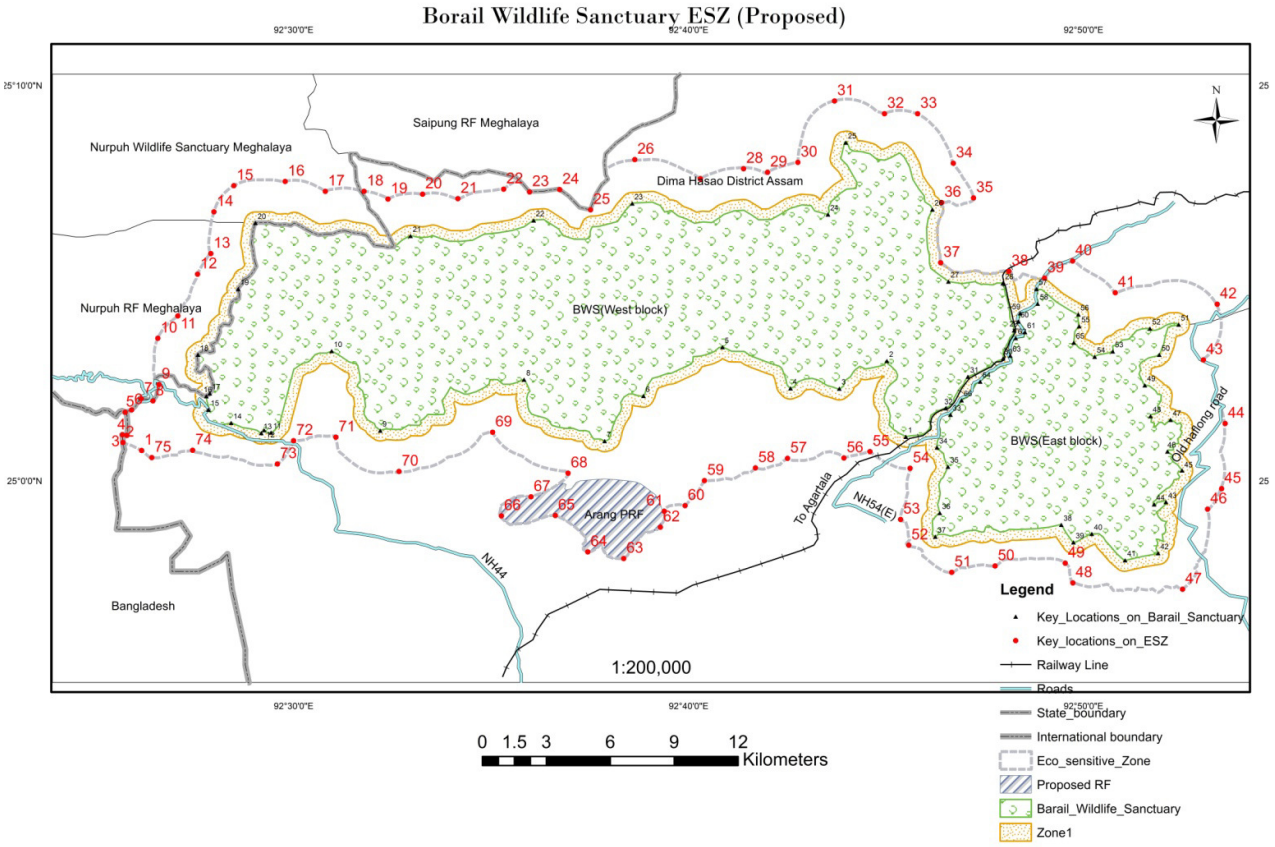

Annexure-III

LIST OF REVENUE VILLAGES AND TEA GARDENS FALLING UNDER PROPOSED BORAIL ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Name of the village/Tea Garden	District	Latitude	Longitude
1	Indranagar	Cachar	$24^0$59'12.1"	$92^0$51'50.0"
2	Siristhal	Cachar	$24^0$57'51.8"	$92^0$51'31.3"
3	Satyanagar	Cachar	$24^0$58'07.5"	$92^0$51'58.1"
4	MuldamPunjee	Cachar	$24^0$57'32.4"	$92^0$52'12.6"
5	Germadisa	Cachar	$24^0$57'24.4"	$92^0$51'12.7"
6	Telacherra	Cachar	$24^0$58'19.4"	$92^0$47'54.0"
7	Marwacherra	Cachar	$24^0$58'22.3"	$92^0$46'02.0"

8	Devinala	Cachar	$25^0$02'31.3"	$92^0$47'01.7"
9	Kachukhal	Cachar	$25^0$01'02.5"	$92^0$46'11.8"
10	Durbin Tilla	Cachar	$25^0$01'58.9"	$92^0$46'41.6"
11	Durgacherra	Cachar	$25^0$01'28.2"	$92^0$46'16.9"
12	Banderkhal	Cachar	$25^0$03'28.1"	$92^0$48'08.2"
13	Honumanthal	Cachar	$25^0$00'17.8"	$92^0$31'48.5"
14	Rajib Nagar	Cachar	$25^0$01'22.0"	$92^0$28'14.3"
15	Bolacherra	Cachar	$25^0$00'40.8"	$92^0$33'45.8"
16	New Malidhar, Malidhar	Cachar	$25^0$01'40.8"	$92^0$27'42.9"
17	Makicherra, Isacherra	Cachar	$25^0$01'14.4"	$92^0$30'88.3"
18	Lakhicherra	Cachar	$25^0$01'20.4"	$92^0$29'13.1"
19	Daralcherra (Lambatilla)	Cachar	$24^0$58'11.5"	$92^0$38'07.5"
20	Amarnagar tea garden	Cachar	$24^0$58'28.5"	$92^0$52'01.0"
21	Subhang Tea garden	Cachar	$24^0$57'06.0"	$92^0$48'08.2"
22	New Jatinga Valley Tea Garden	Cachar	$25^0$00'12.6"	$92^0$44'24.9"
23	Damcherra Tea Garden	Cachar	$25^0$00'44.0"	$92^0$45'08.9"
24	Gumrah Tea Garden	Cachar	$25^0$00'59.6"	$92^0$28'10.3"
25	Kalaincherra Tea Garden	Cachar	$25^0$00'53.9"	$92^0$30'29.7"
26	Ailachora Tea Garden	Cachar	$24^0$59'48.8"	$92^0$36'07.7"
27	Jalalpur Tea Garden	Cachar	$25^0$00'03.7"	$92^0$27'16.0"

Annexure -IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.